न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी	**:-**	**नवीन सिंह गुर्जर, आर.जे.एस.**
मूल फौजदारी प्रकरण	**:-**	**47/2014**
एफआईआर सं०	**:-**	**295/2013 पुलिस थाना नौगांवा, अलवर**
सीआईएस नं०	**:-**	**47/2014**
सीएनआर नं०	**:-**	**RJAL290001022014**

राजस्थान सरकार **....अभियोजन**	**बनाम**	फकरू उर्फ मक्कू, पुत्र श्री आस मौहम्मद, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम ओडेला, थाना रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान **.....अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः-

1. सहायक अभियोजन अधिकारी राजस्थान सरकार की ओर से।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रहमान खां।

क्रं०सं०	**विवरण**	**दिनांक**
1	अपराध की तिथि	05-12-2013
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	05-12-2013
3	चालान पेश करने की तिथि	22-01-2014
4	आरोप विरचित करने की तिथि	12-07-2017
5	साक्ष्य आरंभ करने की तिथि	05-12-2017
6	बयान मुलजिम लिये जाने की तिथि	16-03-2026
7	बहस सुनी जाने की तिथि	07-05-2026
8	निर्णय की तिथि	07-05-2026

निर्णय

दिनांकः- 07-05-2026

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 3 के आधार पर पुलिस थाना नौगांवा पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 295/2013 में अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ है।

2. तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 3 के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनॉक 5-12-13 को एएसआई बृजेश मीणा मय कानि० राजवेन्द्रसिहँ नं0 868 व निजामुद्दीन नं० 1683 के मय जीप सरकारी चालक शब्बीर खाँ नं0 1905 के वास्ते गस्त ईलाका थाना समय 4.45 पीएम पर

रवाना हुआ था कि गस्त ईलाका थाना करता हुआ समय 4.45 पीएम पर शेरपुर बास पहुंचा तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि एक टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाईकिल बरंग काला बिना नंबरी जिसकी पिछली नंबर प्लेट पर अग्रेजी में एएफ लिखा है को लेकर ओडेला का फकरु उर्फ मक्कू कस्बा नौगावां से शेरपुर की तरफ जा रहा है, जिसके पास यह मोटरसाईकिल चोरी की है। इस सूचना पर एएसआई ने मुखबिर की सूचना को हमराही जाप्ता को बताया व गोलकी मोड पर नाकाबंदी शुरू की तो समय 5.00 पीएम पर एक मोटरसाईकिल नौगावां की तरफ से आई, जिसके चालक को रोकने का ईशारा किया तो मोटरसाईकिल चालक ने मोटरसाईकिल को न रोक कर तेज रफतार से भगा दिया व अनबेलेंस होकर पास के कुएँ की दीवार में टक्कर मार कर जमीन पर गिर पडा, जो खडा होकर भागने लगा, जिसे हमराही जाप्ते की मदद से पकड लिया। मोटरसाईकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे नाम पता पूछा तो अपना नाम फकरु उर्फ मक्कू पुत्र श्री आस मौहम्मद जाति मेव उम्र 20 साल निवासी ओडेला थाना रामगढ जिला अलवर बताया । शख्स फकरु उर्फ मक्कू से उसके कब्जे से मिली मोटरसाईकिल टी वी एस स्पोर्ट बिना नंम्बरी इंजन नं० CF51131723620 व चेचिस नं० MD625MF58B3N93735, के बारे में पूछा तो पोटरसाईकिल चोरी की होना बताया। इस प्रकार उक्त शख्स का चोरी की मोटरसाईकिल अपने कब्जे में रखना जुर्म धारा 379,411 आईपीसी की तारीफ में आना पाया जाने पर उसके कब्जे की मोटरसाईकिल टी वी एस स्पोर्ट बिना नंबरी को जरिये फर्द जप्त किया गया व शख्स फकरु उर्फ मक्कू को जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया.....आदि। उपरोक्त रोजनामचा रपट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 295/2013 पुलिस थाना नौगांवा में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रांरभ किया गया एवं बाद अनुसंधान पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहों को परीक्षित करवाया गयाः-

क्रं०सं०	पी०ड०	नाम	दिनांक
1	पी०ड० 1	बृजेश मीणा पुत्र श्री राजाराम	20-10-2018
2	पी०ड० 2	राजवेंद्र पुत्र श्री कजोड़मल	20-10-2018
3	पी०ड० 3	निजामुदीन पुत्र श्री सहजू खां	20-10-2018
4	पी०ड० 4	महेंद्र पुत्र श्री रामप्रसाद	19-08-2025
5	पी०ड० 5	हरिनारायण पुत्र श्री भैरूराम	11-11-2025
6	पी०ड० 6	तेजसिंह पुत्र श्री सूरजसिंह	21-01-2026

तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्रं०सं०	प्रदर्श	नाम	दिनांक
1	प्रदर्श पी० 1	फर्द जब्ती मोटरसाइकिल	05-12-2013
2	प्रदर्श पी० 2	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम	05-12-2013
3	प्रदर्श पी० 3	तहरीरी रिपोर्ट	05-12-2013
4	प्रदर्श पी० 4	चाक एफआइआर	05-12-2013
5	प्रदर्श पी० 5	नक्शामौका	05-12-2013
6	प्रदर्श पी० 6	प्राप्ति रसीद	-
7	प्रदर्श पी० 7	मालखाना रजिस्टर प्रमाणित प्रति	-

दौराने प्रतिपरीक्षण अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित कराये गयेः-

क्रं०सं०	प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण	दिनांक
1	प्रदर्श डी० 1	पुलिस बयान राजवेंद्र सिंह	05-12-2013
2	प्रदर्श डी० 2	पुलिस बयान महेंद्र सिंह	11-12-2013

5. साक्ष्य अभियोजन के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर आई साक्ष्य के संदर्भ में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया। जिस पर अभियुक्त ने उसके विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है और उसे झूंठा फंसाया गया है एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अंत में अभियुक्त को धारा 379, 411 भा०द०सं० के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

7. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में घोर विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होती है। गवाहान के कथनों में परस्पर विरोधाभाष है। प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी गवाह भी नहीं है। प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जब्ती भी अभियुक्त से होना प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रकरण में जब्ती के समय पश्नगत वाहन चोरी हुई संपदा की श्रेणी में नहीं आता था। प्रकरण में ऐसा कोई सुदृढ़ तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चोरी की गयी। अतः अभियुक्त को धारा 379, 411 भा०दं०सं० के अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

8. उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया। संपूर्ण पत्रावली एवं संबधित विधि का परिशीलन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उभयपक्षों के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु यह है किः-

- क्या दिनांक 05-12-2013 को समय 05 पीएम पर अभियुक्त द्वारा गोलकी मोड़ थाना नौगांवा पर बिना वाहन स्वामी की सहमति के बेमानीपूर्वक आशय से उसकी

मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्टस जिसके इंजन नं० CF5NB1723620 व चेचिस नं० MD625MF58B3N93735 को ले जाकर उसे चोरी किया या अभियुक्त के कब्जे से उक्त चुरायी हुई, मोटरसाइकिल बिना नंबरी बरामद की गयी ?

विचारणीय बिंदु का विनिश्चयः-

9. उक्त विचारणीय बिंदु अभियोजन पक्ष के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विनिश्चय का कारणः-

10. अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अपराध को साबित करने हेतु दो उपचार उपलब्ध थे। पहला या तो प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा यह प्रमाणित किया जाता कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत मोटरसाईकिल चोरी की गई या फिर दूसरा प्रकरण में चोरी की गई मोटरसाईकिल की बरामदगी अभियुक्त से होना साबित किया जाता। उक्त संबंध में लिखित रिपोर्ट, एफआईआर व पत्रावली का अवलोकन करते हैं तो न्यायालय के समक्ष आता है कि प्रकरण में अभियुक्त से प्रश्नगत मोटरसाईकिल की बरामदगी होने के आधार पर उसे हस्तगत प्रकरण में संलिप्त किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सामने आता है कि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा चोरी किये जाने के संबंध में एक भी स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी पेश नहीं किया गया है एवं अभियुक्त को उसके पास से तथाकथित रूप से प्रश्नगत मोटरसाइकिल बरामद होने के आधार पर हस्तगत प्रकरण में बतौर अभियुक्त संलिप्त किया गया है।

11. ऐसे में अभियुक्त द्वारा चोरी की जाने को प्रमाणित करने के संबंध में कोई साक्ष्य व आधार अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किये जाने से उक्त संबंध में किसी प्रकार का विवेचन किया जाना इस स्तर पर न्यायसंगत व आवश्यक प्रकट नहीं होता है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में मात्र जब्ती के आधार पर अभियुक्त को संलिप्त किया जाना सामने आता है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विचारणीय बिंदु को अपने पक्ष में प्रमाणित करने हेतु अभियोजन के पास जो एकमात्र उपचार उपलब्ध रह जाता है, वह यह है कि अभियुक्त से की गयी मोटरसाइकिल की तथाकथित जब्ती को प्रमाणित किया जाए। यदि अभियुक्त से चोरी हुई सम्पत्ति मोटरसाईकिल की जब्ती प्रमाणित हो जाती है तो ही अभियुक्त के विरूद्ध धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्दारण के अनुसार उसके विरूद्ध चोरी करने की उपधारणा कायम की जा सकेगी।

12. जब्ती कार्यवाही के प्रमाण से पूर्व सर्वप्रथम न्यायालय को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या जब्ती के समय उक्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल चोरी हुई संपत्ति थी या नहीं। धारा 410 भा.दं.सं. के तहत चुराई गई संपत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार वह संपत्ति जिसका कि कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है अथवा वह संपत्ति जिसका कि आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग कारित किया गया है। चुराई गई संपत्ति कहलाती है। इस संबंध में सर्वप्रथम तो यहां यह स्पष्ट किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है कि धारा 410 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार उक्त मोटरसाईकिल चोरी हुई सम्पत्ति होने के लिए उसके संबंध में चोरी की घटना की रिपोर्ट होना अतिआवश्यक था, जिस संबंध में पूर्ण पत्रावली में एक भी सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं है और ना ही अभियोजन की ओर से उक्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल के संबंध में पूर्व में दर्ज कोई एफआईआर या परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

13. प्रकरण में वाहन स्वामी बतौर पी०ड० 04 परीक्षित कराया गया है, जिसने न्यायालय के समक्ष जाहिर किया है, कि 27.11.2013 की बात है रात्रि को जनता कॉलोनी मूंगसका में भूरासिंह मीणा के पास किराये पर रहता था। वहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी करी थी। जब वह उठा तो उसने देखा तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं थी। उसके बाद अरावली विहार थाने में उसने मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। चुनाव के कारण उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद 09.12.2013 को उसे कठूमर थाने से सूचना मिली की उसकी मोटरसाइकिल मिल गयी है। फिर उसने अलवर कोर्ट से मोटरसाइकिल छुडवायी थी। मोटरसाइकिल का नंबर आरजे 02 एसवी 1394 था। 3620 इंजन नंबर 3735 चेचीसी नंबर था। उसने जो उसकी मोटरसाइकिल कोर्ट से छुडवायी थी उसकी प्राप्ती रसीद प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि यह कहना सही है कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी की कहीं भी कोई भी एफआईआर नहीं करायी है। यह कहना सही है कि जब उसने मोटरसाइकिल ली तब वह बिल्कुल सही थी। यह कहना सही है कि उसने मोटरसाइकिल को लेजाते हुये किसी को नहीं देखा। यह कहना सही है कि पत्रा0 पर ऐसा कोई दस्तावेजात नहीं है जिससे पता लग सके की वह अरावली विहार थाने में मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर दर्ज करवाने गया था। यह कहना गलत है कि वह मोटरसाइकिल को चालू हालत में लाया हो। वह आज मुलजिम को नहीं पहचान सकता। पूरी पत्रावली पर उसकी गाड़ी से संबंधित कोई असल दस्तावेज नहीं है। यह कहना गलत है कि मोटरसाइकिल पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी० 2 पर उसकी गाडी का नंबर नहीं है। गाड़ी के चेचिस नंबर, इंजन नंबर वह आज पूरे नहीं बता सकता। प्रदर्श डी० 2 का ए से बी भाग उसने सही लिखवाया है। यह कहना गलत है कि उसकी मुल्जिम से कोई जान पहचान हो।

14. उपरोक्त गवाह के कथनों से न्यायालय के समक्ष आता है कि गवाह द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत वाहन के संबंध में हस्तगत प्रकरण से पूर्व अन्य कोई एफआइआर या परिवाद लंबित नहीं था। इसके अतिरिक्त गवाह द्वारा स्वयं को प्रश्नगत वाहन का स्वामी दर्शाने बाबत उक्त वाहन के असल दस्तावेजात तक को पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है। ऐसे में न्यायालय के मत में इस स्तर पर हस्तगत प्रकरण में यह ठोस आधारों से स्थापित नहीं है कि गवाह पी०ड० 4 ही प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी है, क्योंकि न्यायालय के मत में जो तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये प्रमाणित हो सकते है, उनके संदर्भ में मौखिक साक्ष्य का कोई अत्यधिक महत्व नहीं रह जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेजात को पेश नहीं करने के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय के समक्ष जो स्थिति आती है, वह यह है कि गवाह पी०ड० 4 का प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी होना इस स्तर पर हस्तगत प्रकरण में प्रमाणित नहीं है, जिसके चलते उक्त साक्षी की साक्ष्य हस्तगत प्रकरण में सुसंगत प्रकट नहीं होती है।

15. ऐसे में उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण में यह ना तो प्रमाणित किया जाने का प्रयास किया गया है और ना ही प्रमाणित किया जा सका है कि गवाह पी०ड० 4 प्रश्नगत वाहन का मालिक है तथा बरवक्त जब्ती उक्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल चुरायी

हुयी संपत्ति की श्रेणी में आती थी। ऐसे में चूंकि हस्तगत प्रकरण में यह स्थापित नहीं हो पाया है कि प्रश्नगत मोटरसाइकिल जब्ती के समय चुरायी हुई संपत्ति थी, तो ऐसे में उक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त से जब्त होना प्रमाणित होने पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना कतई संभव नहीं है। हालांकि प्रकरण में तथाकथित वाहन स्वामी गवाह पी०ड० 04 द्वारा प्रश्नगत मोटरसाइकिल चोरी होना जाहिर किया गया है, परंतु न्यायालय के मत में जब्त वाहन स्वामी द्वारा स्वयं घटना का मुकदमा दर्ज कराने जाना जाहिर किया गया है तो न्यायालय के मत में उक्त तथ्य उक्त संदर्भ में थाने पर दिये गये परिवाद से प्रमाणित हो सकता था, जो पेश नहीं किया गया है। ऐसे में न्यायालय के मत में इसका प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन मामले पर पड़ना स्वाभाविक है।

16. उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रकरण में जो अन्य गवाहान पेश कर परीक्षित कराए गए हैं, वे गवाह पी०ड० 1, पी०ड० 2, पी०ड० 3, व पी०ड० 6 हैं, जोकि जासा कार्यवाही, जब्ती, गिरफ्तारी, नक्शामौका, एफआइआर एवं अनुसंधान अधिकारी है।

17. सर्वप्रथम प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी०ड० 1 जो कि स्वयं प्रकरण का परिवादी है के कथनों का अवलोकन करने से न्यायालय के समक्ष आता है कि उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट एवं एफआईआर की ताईद की गयी है एवं फर्द जब्ती प्रदर्श पी० 1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी० 2, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 3, चाक एफआईआर प्रदर्श पी० 4 एवं नक्शामौका प्रदर्श पी० 5 पर उसके हस्ताक्षर होना जाहिर किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि वह 04.15 पीएम पर थाने से मय जासा के रवाना हुआ था। बाद कार्यवाही 06.00 पीएम पर वह थाने पर आ गया था। यह बात सही है कि पत्रावली पर आने जाने की आमद रवानगी संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि उसने आर०टी० ऑफिस में यह मोटरसाइकल किसके नाम से दर्ज है, इसकी जानकारी नहीं की। आई० ओ० ने इस की जानकारी की हो तो उसे पता नहीं। यह बात सही है कि उक्त मोटरसाइकल इंजन नम्बर सी एफ 5 एन बी 1723620 व चेचिस नम्बर एम डी 625 एम एफ 58 बी 3 एन 93735 की चोरी बाबत कोई रिपोर्ट पहले से थाने में दर्ज नहीं थी। मुखबीर खास द्वारा उसे सूचना मिली थी। जब उसे सूचना दी गई उस वक्त वह शेरपुर था। सूचना 04.45 पीएम पर मिली थी। शेरपुर से गोलकी मोड करीब एक किमी दूर है। यह कहना गलत है कि गोलकी मोड पर पहले से ही पुलिस जासा मौजूद हो। गोलकी मोड पर सूचना के बाद उन्होंने ही नाकाबन्दी शुरू की थी। उन्होंने 04.50 पीएम पर गोलकी मोड पर नाकाबन्दी शुरू कर दी थी। 05.00 पीएम पर मोटरसाइकल लेकर मुलजिम गोलकी मोड पर आया था। यह कहना गलत है कि मुलजिम ने यह बताया हो कि उक्त मोटरसाइकल उसके किसी रिष्तेदार की हो। मुखबीर की सूचना के बारे में वहने थाने पर सूचना नहीं दी थी। उसके आई०ओ० साहब ने बयान उसी दिन लिये थे, कितने बजे लिये थे, समय आज उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि वह मुलजिम को पहले से जानता हूं। मुलजिम के गिरने पर उसके ऐसी कोई चोट नहीं आई थी कि उसका मैडिकल कराने की आवष्यकता हो। यह बात सही है कि जोर से भागने पर कुंये की दीवार से टकराकर गिरने पर मुलजिम के कोई चोट नहीं आई। कुए की दीवार से जोर से टकराने पर मुलजिम को चोट नहीं आई थी अपितु मोटरसाइकल क्षतिग्रस्त हो गयी थी। मोटरसाइकल का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। गिरने के बाद मोटरसाइकल चालू हालत में नहीं थी। नक्शामौका प्रदर्श पी05 दिनांक 06.12.2013 को

09.45 एएम पर बनाया गया था। मौके पर नजदीक में किस किस के मकानात हैं, आज उसे याद नहीं है। पहले मोटरसाइकल जब्त की गई थी। उसके बाद मुजजिम को मौके पर गिरफतार किया गया था।

18. प्रकरण के अन्य गवाह पी०ड० 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों के अवलोकन से प्रकट होता है कि गवाह ने मुख्य परीक्षण में एफआईआर की ताईद की है एवं फर्द जब्ती प्रदर्श पी० 1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी० 2 एवं नक्शामौका प्रदर्श पी० 5 पर उसके हस्ताक्षर होना जाहिर किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि वे थाने से 04.15 पर रवाना हुए थे। यह बात सही है कि रवानगी और आमद की रोजनामचा की नकल पत्रावली में संलग्न नहीं है। मोटरसाइकल वाला 04.50 पर गोलकी मोड नाकाबन्दी पर आया था। वे वापसी थाने पर 06.00 बजे आये। उसके पुलिस में बयान हुए थे। उसके बयान 05.12.2013 को मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधान अधिकारी तेजसिंह ने लिये थे। उसे यह पता नही कि थाने पर मुखबीर ने थाने पर सूचना दी या नहीं दी। मुखबीर ने ए०एस०आई० साहब को सूचना दी थी। यह कहना सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी01 में उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि ए०एस०आई० साहब को मुखबीर ने सूचना दी थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी01 का ए से बी भाग सही है जो उसने पुलिस को दिया था। यह कहना गलत है कि वे मुलजिम को पहले से जानते हों। मोटरसाइकल रोकने का इशारा सभी ने, पूरी टीम ने किया था। यह बात सही है कि उक्त मोटरसाइकल की चोरी की बाबत कोई रिपोर्ट पहले से थाने में दर्ज नहीं थी। आर०टी० ऑफिस से अनुसंधान अधिकारी ने पूछताछ की थी, उन्होंने आर०टी० ऑफिस से पूछताछ नहीं की थी। वे आर०टी० ऑफिस नहीं गये थे। यह कहना गलत है कि मुलजिम ने वेसे यह कहा हो कि उक्त मोटरसाइकल मुलजिम के रिश्तेदार की हो। यह बात सही है कि मोटरसाइकल जब्त करने से पहले मुलजिम उनके पास ही था। पहले उन्होंने मोटरसाइकल को जब्त किया था फिर मुलजिम को गिरफतार किया था। मोटरसाइकल को उन्होंने समय 04.15 जब्त किया था। फिर अज खुद कहा समय 05.15 पर जब्त किया था। घटना स्थल के आस पर किस किस के मकानात और खेत है, आज उसे याद नहीं है। नक्शामौका अगले दिन 09.45 एएम पर बनाया गया था। मुलजिम को 05.40 पीएम पर दिनांक 05.12.2013 को गिरफतार किया गया था। वह आज मुलजिम को नहीं पहचान सकता, काफी दिन हो चुके हैं। यह कहना गलत है कि मुलजिम की फर्द गिरफतारी थाने पर बनायी हो। फर्द गिरफतारी मौके पर बनायी गयी थी।

19. प्रकरण के अन्य गवाह पी०ड० 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों के अवलोकन से प्रकट होता है कि गवाह ने मुख्य परीक्षण में एफआईआर की ताईद की है एवं फर्द जब्ती प्रदर्श पी० 1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी० 2 पर उसके हस्ताक्षर होना जाहिर किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि जहां उन्होंने नाकाबन्दी की थी, वहां पर गांव का कोई अन्य व्यक्ति हाजिर नहीं था। घटना स्थल पर आस पास 100 मीटर की दूरी पर दुकानात और मकानात मौजूद थे। यह उसे याद नहीं है कि घटनास्थल के पास खेतों में लोग मजदूरी कर रहे थे या नहीं। यह कहना गलत है कि मुलजिम थाने पर था। यह बात सही है कि उनके रवानगी तथा आमद की रोजनामचे की नकल पत्रावली में संलग्न नहीं है। मोटरसाइकल चोरी से सम्बन्धित सूचना थाने पर नहीं दी गयी थी। यह कहना गलत है कि उनके 04.15

पीएम पर रवाना होने का समय वे अपने मन से बता रहे हों। यह बात सही है कि उनकी रवानगी से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है। उन्होंने आर0टी0 ऑफिस से उक्त मोटरसाइकल के बारे में जानकारी नहीं की। वे शेरपुर 04.45 बजे पहुंच गये थे। गोलकी मोड शेरपुर में ही है। ए0एस0आई0 साहब ने पहले जब्ती बनाई थी फिर मुलजिम को गिरफतार किया था। यह कहना गलत है कि उसके सामने ए0एस0आई0 साहब को सूचना नहीं मिली हो। यह कहना गलत है कि वह मुलजिम को पहले से जानता था। मुलजिम की गिरफतारी उसी दिन जब्ती के साथ डाली थी, अज खुद कहा कि जब्ती के बाद फर्द गिरफतारी डाली थी। यह कहना गलत है कि मुलजिम ने उन्हें यह बताया हो कि उक्त मोटरसाइकल उसके पहचान वाले की है। उसने उक्त मोटरसाइकल के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं की। यह बात सही है कि वेसे उक्त मोटरसाइकल को कोई सुपुर्दगी पर नहीं लेकर गया। पुलिस में उसके बयान हुए थे जो कि दूसरे दिन हुए थे। उसके बयान दिनांक 06.12.2013 को हुए थे। उसने खुद ने बयान दिये थे। उसके बयानों पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने फर्द गिरफतारी और फर्द जब्ती पर थाने पर आकर हस्ताक्षर किये हों।

20. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी०ड०6 है, जोकि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, के द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि यह कहना सही है कि मोटरसाइकिल खाने बाबत कोई एफआईआर की प्रति आज पत्रावली पर मौजूद नही है। यह कहना सही है कि महेन्द्र पांचाल की मोटरसाइकिल चोरी बाबत जो तफतीश कोतवाली अलवर में चल रही थी, वह उसकी तफतीश में नहीं आई। यह कहना सही है कि महेन्द्र पांचाल और मुलजिम फकरू उर्फ मक्कू के आपसी संबंध हो तो यह उसकी जानकारी में नही है। यह कहना सही है कि पत्रावली पर रोजनामचे में उसकी रवानगी व वापसी की प्रति मौजूद नही है। वह मुलजिम को पहले से नही जानता हूं। यह कहना सही है कि मुलजिम की गिरफतारी वाली जगह लोगो की काफी आवाजाही रहती है। मौके पर एक मकान है। यह कहना सही है कि उसने पत्रावली पर कोई स्वतंत्र गवाह नही बनाया, क्योंकि कोई बनना नही चाहता था। यह कहना सही है कि महेन्द्र पांचाल ने अपनी मोटरसाइकिल मुलजिम को चलाने के लिए दी हो तो उसकी जानकारी में नही है। प्र०पी०5 पर जी से एच भाग पर जो समय अंकित है, वह 9.45 पीएम लिखा हुआ है, वह सही है। उसने असल आर.सी. पत्रावली पर पेश नहीं की। मोटरसाइकिल का रंग काला था। वह आज मुलजिम को नहीं पहचान सकता। मोटरसाइकिल आगे से क्षतिग्रस्त थी। अन्य हुलिया उसे याद नही है। यह कहना गलत है कि उसने मुलजिम को झूंठा फंसाया हो।

21. ऐसे में उपरोक्त गवाहान के कथनों के विश्लेषण से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि प्रकरण में जो गवाहान परीक्षित कराए गए हैं, वे जाप्ता कार्यवाही, नक्शामौका, गिरफ्तारी व अनुसंधान के तथ्यों के साक्षी है, जिनके बयानों व प्रदर्शित दस्तावेजात से ना तो यह साबित होना संभव है कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत संपत्ति चुरायी गयी थी और ना ही यह साबित होना संभव है कि प्रश्नगत मोटरसाइकिल बरवक्त जब्ती चुरायी गयी संपत्ति थी। ऐसे में उक्त शेष समस्त गवाहान द्वारा अभियुक्त से जब्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल किस प्रकार चोरी की मानी गयी के संबंध में कोई युक्तियुक्त कथन नहीं करने से उक्त शेष गवाहान के साक्ष्य का गहनता से विश्लेषण किया

जाना आवश्यक प्रकट नहीं होता है, क्योंकि न्यायालय के मत में यदि अभियुक्त से प्रश्नगत मोटरसाइकिल की जब्ती प्रमाणित हो जाती है तो भी हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित होना उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कतई संभव नहीं है कि उक्त मोटरसाइकिल चुराई हुई संपत्ति थी।

22. उपरोक्त समस्त जाप्ता सदस्यों के कथनों से एवं अनुसंधान नतीजे से न्यायालय के समक्ष आता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को संलिप्त किये जाने का जो मुख्य आधार है, वह यह है कि अभियुक्त द्वारा मौके पर प्रश्नगत वाहन का चोरी का होना स्वीकार किया गया था। उक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस को दौराने अनुसंधान दिया गया किसी भी प्रकार का कथन न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है, बल्कि उक्त कथन साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष ग्राह्य नहीं है।

23. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी तक को पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे मामले की सत्यता का पता चलता। प्रकरण में जो साक्षी बतौर वाहन स्वामी पेश किया गया है, उसे प्रश्नगत वाहन का स्वामी स्थापित करने तक के लिए वाहन के दस्तावेजात तक प्रदर्शित व प्रमाणित नहीं कराये गये हैं। अभियोजन की ओर से हस्तगत प्रकरण में ना तो अभियुक्त की और ना ही चुरायी गयी संपत्ति की नियमानुसार शिनाख्तगी करायी गयी है। जहां तक अभियुक्त द्वारा उक्त मोटरसाइकिल स्वयं चोरी की होना स्वीकार करने का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि दौराने अनुसंधान पुलिसकर्मियों को किया गया कथन न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर विधि अनुसार ग्राह्य नहीं है। ऐसे में प्रकरण में हुआ अनुसंधान गंभीर रूप से दुषित प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से किसी प्रकार की रपट रवानगी व वापसी पुलिस जाप्ते की कार्यवाही के संदर्भ में पेश कर प्रदर्शित नहीं करायी गयी है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से न्यायालय के समक्ष आता है कि हस्तगत प्रकरण जोकि पुलिस की ओर से तैयार किया गया है, में अभियुक्त की दोषसिद्धि के संदर्भ में किसी प्रकार का स्पष्ट व ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा अभियुक्त प्रकरण में संलिप्त किये जाने का एकमात्र आधार, अभियुक्त की स्वयं की स्वीकारोक्ति है। प्रकरण में ऐसी भी किसी प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो गवाह पी०ड०4 को वाहन स्वामी एवं प्रश्नगत वाहन का बरवक्त जब्ती चुरायी हुई संपत्ति की श्रेणी में आना स्थापित कर सके। न्यायालय के मत में पुलिस द्वारा तैयार किये गये प्रकरण में अन्य प्रकरणों की तुलना में साक्ष्य की गुणवत्ता अधिक होनी चाहिए, परंतु हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त अनुसार अभियुक्त को युक्तियुक्त संदेह से परे दोषसिद्ध करने योग्य की गुणवत्ता वाली ठोस साक्ष्य उपलब्ध होना प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अभियोजन मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना व संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

24. दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत कि अभियोजन को अपना पक्ष विश्वसनीय व सुदृढ साक्ष्य के जरिये संदेह से परे प्रमाणित करना होता है तथा संदेह का लाभ सदैव अभियुक्ता को दिया जाना चाहिए। पूर्वोक्त साक्ष्य के विवेचन से दिनांक 05-12-2013 को समय 05 पीएम पर अभियुक्त द्वारा गोलकी मोड़ थाना नौगांवा पर बिना वाहन स्वामी की सहमति के बेमानीपूर्वक आशय से उसकी मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्टस जिसके इंजन नं० CF5NB1723620 व चेचिस नं० MD625MF58B3N93735 को ले जाकर उसे चोरी किया या अभियुक्त के कब्जे से उक्त चुरायी

हुई, मोटरसाइकिल बिना नंबरी बरामद होना, प्रमाणित होता प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णरूप से असफल होना प्रकट होता है। ऐसे में उक्त आरोपित अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

25. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। फलस्वरूप प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त विचारणीय बिंदु के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर किए गए विनिश्चय के अनुसार अभियुक्त को धारा 379 व विकल्प में धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

26. एतद्द्वारा **अभियुक्त फकरू उर्फ मक्कू, पुत्र श्री आस मौहम्मद, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम ओडेला, थाना रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान** को धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

27. अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए द.प्र.सं. के तहत जमानत मुचलके पूर्व में पेश किये जा चुके हैं। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीदार के पास सुपुर्दगी पर है, जो उन्हीं के पास रहे। बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा की शर्ते स्वतः निरस्त समझी जावे।

(नवीन सिंह गुर्जर)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ़, जिला अलवर

28. निर्णय आज दिनांक 07-05-2026 को विवृत्त न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(नवीन सिंह गुर्जर)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ़, जिला अलवर